



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 11.10.2026

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर व 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 241/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाइसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- प्रशांत पुत्र जगत सिंह नि0 ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत ।

अभि0 प्रशांत उपरोक्त से बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर ।
- एक जिंदा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री नवनीत कुमार
2. है०का० 520 सरफराज खां
3. है०का० 709 कपिल वर्मा
4. है०का० 756 नौशाद अहमद



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 11.10.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं०-241/26 धारा 305(क) बीएनएस मे वांछित 25 हजार का ईनामी अभियुक्त को घायल अवस्था में किया गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर व 02 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

जनपद बागपत में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं०-241/26 धारा 305(क) बीएनएस मे वांछित 25 हजार का ईनामी अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है, अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर व 02 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।

पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त नाजिम उर्फ नसीम पुत्र नानू खां निवासी आशियाना सिटी कस्बा व थाना लोनी गाजियाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष हिसावदा मार्ग पर बन्द भट्टे के पास किसी घटना को अंजाम देने के प्रयास मे है। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी की। खुद को घिरता देख अभियुक्त ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से सीधी फायरिंग शुरू कर दी। अभियुक्त द्वारा चलाई गई गोली उपनिरीक्षक अमित कुमार की बुलेटप्रूफ जैकेट में जा लगी, जिसमें वे बाल-बाल बचे।

पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त नाजिम उर्फ नसीम के बाएँ पैर मे गोली लगने से घायल हो गया, जिसे तत्काल उपचार हेतु सीएचसी पिलाना भिजवाया गया।

अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद बागपत द्वारा ₹25,000/- का इनाम घोषित किया गया था।

अभियुक्त का नाम व पता:-

नाजिम उर्फ नसीम पुत्र नानू खां निवासी आशियाना सिटी कस्बा व थाना लोनी गाजियाबाद
जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष

बरामदगी का विवरण:

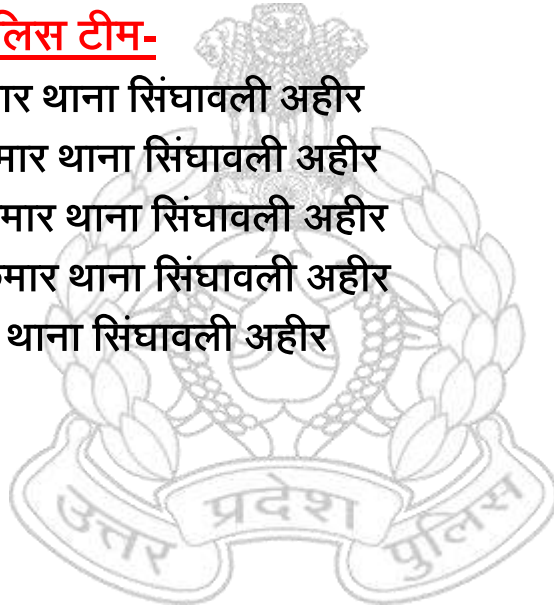
- 01 तमंचा (.315 बोर), 01 जिंदा कारतूस (.315 बोर), 02 खोखा कारतूस (.315 बोर)

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:

1. मु0अ0सं0- 241/26 धारा- 305(2) बीएनएस थाना सिंघावली अहीर
2. मु0अ0सं0 321 धारा- 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना सिंघावली अहीर
जनपद बागपत
3. मु0अ0सं0-1984/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना लोनी जनपद गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना सिंघावली अहीर
- 2- है0का0 546 विपिन कुमार थाना सिंघावली अहीर
- 3- है0का0 402 सुमित कुमार थाना सिंघावली अहीर
- 4- है0का0 689 विपिन कुमार थाना सिंघावली अहीर
- 5- का0 552 नीरज कुमार थाना सिंघावली अहीर





प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 11.10.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाना के मु0अ0स0 689/26 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/333/131/352/351(2)/324(4)/109(1) से सम्बन्धित वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 09.10.2026 वादी शौकत पुत्र मौ0 शरीफ निवासी गुर्जर कालोनी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त गण 1.गुलाब पुत्र शौकत, 2.सोनू पुत्र नामालूम, 3.बिल्लू उर्फ काला पुत्र नामालूम, 4.शब्बो पत्नी गुलाब 5.आयात पुत्री गुलाब निवासीगण कस्बा बागपत थाना व जनपद बागपत व एक 01 व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा एक राय होकर हाथों में लाठी डण्डा लेकर वादी के घर में घुसकर वादी के पुत्र अरमान पर लाठी डंडों व धारदार हथियारों से हमला करना, गाली गलौच, जान से मारने की नीयत से उसके साथ मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देना व वादी की गाड़ी के शीशे ईंट पत्थर मारकर तोड़ दिये। प्राप्त तहरीर के आधार पर



थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0स0 689/26 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/333/131/352/351(2)/324(4)/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0स0 689/26 धारा 191(2)/191(3)/115(2) /333/131/352/351(2)/324(4)/109(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त गुलाब पुत्र शौकत निवासी मौहल्ला मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना व जिला बागपत उम्र 45 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1.अभियुक्त गुलाब पुत्र शौकत निवासी मौहल्ला मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना व जिला बागपत उम्र 45 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस थाना

- 1.उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
2. है0का0 151 संदीप कुमार, थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 11.10.2026

थाना बिनौली पुलिस ने चैंकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैंकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर के बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 313/2026 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



नोटवर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपैव

असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

उमर पुत्र निजामु निवासी ग्राम बडावद थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र करीब 21 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर व 01 जिंदा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सन्नी कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2- रि0 का0 542 प्रवीण कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
3. रि0 का0 308 नैतिक यादव थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना खेकडा

दिनांक 11.10.2026

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 346/26 धारा 305(ए) बीएनएस – 2023 में वांछित 02 अभियुक्त को किया गिरफ्तार जिनके कब्जे से 01 बैट्री माइक्रोटक कम्पनी, 01 एल0ई0डी0 (गेटवे कम्पनी) बरामद ।

विवरण

दिनांक 25.09.26 को आवेदक मिन्त्रपाल सिंह पुत्र श्री तेजपाल सिंह निवासी ग्राम फखरपुर थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की गद्दे व कूल्ट की फैक्टरी से मशीन की ड्राइव, मोटर, बैटरी, इन्वर्टर, एलईडी, कपडा, कैमरे की डीवीआर, तीन मोटर पंप व अन्य सामान चोरी कर ली गयी है। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 346/26 धारा 305(ए) बीएनएस – 2023 पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु

चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 346/26 धारा 305(ए) में वांछित 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।जिनके कब्जे से 01 बैट्री माइक्रोटक कम्पनी 01 एल0ई0डी0 (गेटवे कम्पनी) बरामद हुई है।

बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. गौतम पुत्र संत कुमार मूल नि0 ग्राम रमाबुद्धवीर थाना मेरापुर जनपद फर्रुखाबाद हाल नि0 कौशिक एन्कलेव बुराड़ी थाना बुराड़ी दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष



2.अकबर पुत्र अमीर मूल नि० आर्य समाज मन्दिर के पास करबा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत
हाल नि० त्यागी मार्केट ईदगाह के पास लोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 55 वर्ष
बरामदगी का विवरण

1. 01 अदद बैट्री माइक्रोटक कम्पनी
2. 01 अदद एल०ई०डी० (गेटवे कम्पनी)

अभियुक्त अकबर का आपराधिक इतिहास

- 1.मु०अ०सं० 368/07 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकड़ा जनपद बागपत
- 2.मु०अ०सं० 216/11 धारा 136 वि० अधि० व 379/411 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत
- 3.मु०अ०सं० 220/11 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदीनगर जनपद बागपत
- 4.मु०अ०सं० 517/15 धारा 201/302/366/376डी थाना झीझाना जनपद शामली
- 5.मु०अ०सं० 346/26 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ०नि० श्री विकास चहल थाना खेकड़ा जिला बागपत
2. है०का० 785 सुनील कुमार थाना खेकड़ा जिला बागपत
3. का० 893 राहुल शर्मा थाना खेकड़ा जिला बागपत
- 4.रि०का० 151 रवि सोलंकी थाना खेकड़ा जिला बागपत



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर दिनांक -11-10-2026

मिशन शक्ति अभियान फेज 6 के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर मिशन शक्ति टीम द्वारा गुमशुदा बच्ची उम्र करीब 11 वर्ष को तलाश कर उसके परिजनो के सुपुर्द किया

।

कार्यवाही -

मिशन शक्ति अभियान फेज 6 के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा दिनांक -11.10.26 को आवेदक श्री विवेक कुमार पुत्र रामवीर सिंह द्वारा डायल 112 पर दी गई सूचना वादी की पुत्री उम्र करीब 11 वर्ष अपनी दादी के साथ खेत पर गयी थी , जहां से वह बच्ची गायब हो गयी ।

उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये महिला मिशन शक्ति प्रभारी मय टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर ग्राम सिंघावली



अहीर के जंगल में गुमशुदा बच्ची की तलाश की गयी । काफी तलाश व मस्कत के बाद, लोगों से पुछताछ एवं सीसीटीवी कैमरो की फुटजे की सहायता से गुमशुदा बच्ची को ग्राम सिंघावली से पूठड को जाने वाले रास्ते पर जंगल से सकुशल बरामद कर लिया गया है तथा गुमशुदा बच्ची को उसके परिजनो के सुपुर्द किया गया ।

बच्ची के माता पिता तथा क्षेत्रवासियो द्वारा महिला मिशन शक्ति टीम व पुलिस विभाग की भूरि भूरि प्रशन्सा की गई ।

बरामद करने वाली मिशन शक्ति टीम -

- 1-म0उ0नि0 गायत्री राजपूत थाना सिंघावली अहीर बागपत
- 2-म0है0का0 176 सरोज बाला थाना सिंघावली अहीर बागपत
- 3-म0है0का0 582 नेहा सिरौही थाना सिंघावली अहीर बागपत
- 4-म0रि0आरक्षी 646 नीशू यादव थाना सिंघावली अहीर बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-11.10.2026

थाना दोघट पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ-सट्टा खेलते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 2350 रुपये नगद बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुये 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 2350/-रुपये नगद बरामद हुए हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. जितेन्द्र पुत्र रामप्रसाद निवासी बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत उम्र करीब 34 वर्ष
2. वाजिद पुत्र अख्तर निवासी बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत उम्र करीब 38 वर्ष
3. नरेन्द्र सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत उम्र करीब 42 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- 52 पत्ते ताश
- 2350/-रुपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री ब्रजेश पौनिया थाना दोघट जनपद बागपत
2. है०का० 748 रामजीलाल थाना दोघट जनपद बागपत
3. है०का० 644 रामटार्डगर थाना दोघट जनपद बागपत

4.का0 59 पारस शर्मा थाना दोघट जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दि0 11.10.2026

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने बैंक के साथ धोखाधड़ी करने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

माननीय न्यायालय बागपत के विभिन्न आदेश अन्तर्गत धारा 173(4) के आधार पर आवेदक क्षेत्रीय प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा श्री राजेश कुमार खरे हाल तैनाती क्षेत्रीय कार्यालय, मंगल पाण्डे नगर, मेरठ के विभिन्न प्रार्थना पत्रों पर अभियुक्तों द्वारा आपराधिक षडयंत्र रचकर, कपटपूर्वक जालसाजी करके, फर्जी दस्तावेज रचकर व खुद को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए कथित तथ्यों व दस्तावेजों के आधार पर बैंक ऑफ बडौदा के साथ धोखाधड़ी करके लोक धन को अवैध तरीके से केसीसी के माध्यम से हड़प कर लेना,



उपरोक्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर क्रमशः 1.दिनांक 12.05.26 को मु0अ0सं0 318/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि बनाम अभि0 1. पप्पू पुत्र स्व0 श्री दारा सिंह 2. महावीरा पुत्र सुरती 3. अन्य अज्ञात व्यक्ति ,

2.दिनांक 20.05.26 को मु0अ0सं0 337/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि बनाम अभि0 1. सुखपाल, 2. राजेन्द्र उर्फ राजेन्द्र सिंह,, 3. अन्य अज्ञात व्यक्ति ,

3.दिनांक 29.05.2026 को मु0अ0सं0 366/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि बनाम अभि0गण 1.विनीत उर्फ विनीत कुमार उम्र लगभग 34 वर्ष पुत्र श्री कृष्णपाल सिंह 2. पप्पू व अन्य अज्ञात व्यक्ति,

4. दिनांक 31.05.26 को मु0अ0सं0 370/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि बनाम अभि0गण 1. महावीरा उर्फ महावीरा 2. पप्पू व अन्य अज्ञात व्यक्ति,
5. दिनांक 08.06.26 को मु0अ0सं0 399/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि बनाम अभि0गण 1. रिशपाल उर्फ रिषिपाल 2. दिनेश कुमार व अन्य अज्ञात व्यक्ति,
6. दिनांक 26.07.26 को मु0अ0सं0 531/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि बनाम अभि0 1. दिनेश कुमार पुत्र श्री महावीर सिंह 2. रिशपाल उर्फ रिषिपाल पुत्र श्री खचेडू व अन्य अज्ञात व्यक्ति,
7. दिनांक 31.07.26 को मु0अ0सं0 548/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि बनाम अभि0 1. गोपी 2. सुखपाल व अन्य अज्ञात व्यक्ति,
8. दिनांक 16.09.26 को मु0अ0सं0 664/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि बनाम अभि0गण 1. महावीर 2. पप्पू व अन्य अज्ञात व्यक्ति के पंजीकृत किये गये।

नोट- उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को थाना बडौत पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

दिनेश कुमार पुत्र महावीर निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत उम्र 42 वर्ष

गिरफ्तार/ बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक अपराध श्री राम कुमार कुन्तल थाना बडौत।
- 2-उ0नि0 श्री आरिफ अली थाना बडौत।
- 3-म0है0का0 604 रीतू यादव थाना बडौत।